भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1115**

रविवार, 20 सितंबर, **2020/29** भाद्रपद, **1942** (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

ओडिशा में नदी पर्यटन का विकास

1115. श्री सुजीत कुमार:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में नदी पर्यटन विकसित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) इस संबंध में ओडिशा के लिए क्या विशिष्ट योजना बनाई गई है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल)

(क): नदी पर्यटन सहित पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों का दायित्व है । तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनके अधिकार क्षेत्र की उनके द्वारा अभिज्ञात परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को योजना दिशानिर्देशों का पालन करने, निधियों की उपलब्धता और पूर्व में जारी की गई निधियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

देश में पर्यटन की अवसंरचना के विकास के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान' (प्रशाद), 'स्वदेश दर्शन - थीम-आधारित पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास' और 'पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' की योजनाएं शुरु की हैं । इन योजनाओं में अन्य बातों के साथ साथ, अभिज्ञात परिपथों/तीर्थ स्थलों में नदी तटों पर पर्यटन स्थलों का विकास भी शामिल है ।

पोत परिवहन मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) भारत में रिवर क्रूज पर्यटन के विकास के लिए एक कार्य योजना और विस्तृत रोड मैप तैयार करने के लिए एक अध्ययन करवा रहा है ।

(ख): भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय ने **2014-15** में पुरी, ओडिशा में - श्री जगन्नाथ धाम-रामचंडी - प्राची रिवर फ्रंट और देऊली के अवसंरचना विकास के लिए प्रशाद योजना के तहत **50.00** करोड़ रु. की राशि की स्वीकृ**ति** प्रदान की थी ।

ओडिशा सरकार के पर्यटन विभाग ने सूचित किया है कि उन्होंने ओडिशा में नदी पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए निम्न बड़े कदम उठाए हैं: -

i. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने एक समझौते के तहत एक तकनीकी अध्ययन पूरा किया है और रिवर क्रूज़ के संचालन के लिए तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर निम्नलिखित मार्ग प्रस्तावित किए हैं:

- **क.** राष्ट्रीय जलमार्ग **5 (**क्रूज मार्ग – पारादीप - हुकिटोला खाड़ी - राजनगर-मानागलाजोडी – भितरकणिका - चंदबली) लगभग - **95** किमी
- **ख.** राष्ट्रीय जलमार्ग **64 (**क्रूज मार्ग-बादमुल-मुदुलीगड़िया-टिकरापाड़ा-दारुहा) - **30** किमी
- **ग.** राष्ट्रीय जलमार्ग **14 (**क्रूज मार्ग **-** चंदबली - भितरकणिका - अराड़ी)
- **घ.** अन्य मार्ग **-** जोबरा - धबलेश्वर

ii. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की सहायता से राज्य सरकार, नदी के परिभ्रमण के संचालन की योजना, तट अवसंरचना के उन्नयन/विकास जैसे हस्तक्षेप और जेटी (स्थायी/ अस्थायी), भंडारण सुविधाओं, आगंतुक सुविधाओं और मार्गों के चार्टिंग और उनके रखरखाव, आदि जैसी समर्थन सुविधाएं ।

iii. निजी क्षेत्र के क्रूज ऑपरेटरों को क्रूज परिचालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए पर्यटन विभाग, ओडिशा सरकार आवश्यक सुविधा- सहायता प्रदान करेगी ।

iv. महानदी नदी और हीराकुंड बांध में जलक्रीडाओं के लिए एकल खिड़की अनुमोदन की मंजूरी दी गई है ।

v. नदी मनोरंजन की योजना और विकास के क्षेत्र में अनुभवी केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम (केएसआइएनसी) केरल सरकार के उपक्रम के साथ तकनीकी सहयोग किया है ।

****